


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : 19 नवम्बर, 2019

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.8(ग)()नियम/डीएलबी/19/33841-34298 दिनांक 16.10.2019 के प्राधिकृत हिन्दी पाठ का दिनांक 08.11.2019 को गजट नोटिफिकेशन कराया गया था। उक्त अधिसूचना दिनांक 16.10.2019 के प्राधिकृत हिन्दी पाठ में नियम 78 के उप-नियम (6)(v) में विद्यमान अभिव्यक्ति " परिणाम की घोषणा के अगले दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परिणाम की घोषणा के दिन के पश्चात् से दूसरे दिन" पढी जाये।


राज्यपाल के आदेश से


(उज्जवल रावैड)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, विधि. एवं विधिक कार्य विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
8. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
9. चैयरपर्सन/मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगर निकाय, समस्त राजस्थान।
10. समस्त अधिकारी, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
14. प्रोग्रामर, निदेशालय को, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी